

**DAU SHRI VASUDEV CHANDRAKAR KAMDHENU VISHWAVIDYALAYA,
DURG-491001 (C.G.)**

No. DI/PG/Admn./DSVCKV/2021-22/2095

Dated: 21 .01.2022

ADMISSION NOTICE

On line application forms are invited for participation in the Common Entrance Test (CET) 2021-22 followed by counseling for admission in M.V.Sc. (18 subjects) programme in Veterinary faculty .

1. On line registration for CET: 25.01.2022 to 16.02.2022(11.59 pm)
2. Date and Time for CET: 01.03.2022 at 11 :00 AM
3. Venue of CET: College of Veterinary Science & Animal Husbandry, Anjora, Durg (C.G.)

The applicants must read the detailed admission notice available in the Vishwavidyalaya website www.cgkv.ac.in and use the link “<https://cgkvmis.cg.nic.in>” for filling of the on line application form after going through all the instructions therein. All further notices in this regard would be published and uploaded in the Vishwavidyalaya website only. Therefore applicants must keep themselves update by logging the website regularly.


REGISTRAR



DAU SHRI VASUDEV CHANDRAKAR KAMDHENU VISHWAVIDYALAYA,
ANJORA, DURG (C.G.)

ADMISSION NOTICE

No. DI/PG/Admn./DSVCKV/2021-22/ 2095

Dated: 21.01.2022

Online applications in the prescribed format are invited for admission in various Master's degree programmes of the Vishwavidyalaya for the session 2021-22 as detailed below.

A. Post Graduate Programme in the following discipline's of

FACULTY OF VETERINARY SCIENCES

Post Graduate Programme in the following disciplines:-

Vety. Anatomy and Histology, Vety. Physiology, Vety. Biochemistry, Vety. Microbiology, Vety. Pharmacology & Toxicology, Vety. Parasitology, Vety. Pathology, Animal Nutrition, Animal Genetics & Breeding, Livestock Production & Mangement, Animal Reproduction, Gynecology & Obstetrics, Vety. Surgery & Radiology, Vety. Clinical Medicine, Ethics & Jurisprudence, Vety. Epidemiology and Preventive Medicine, Vety. Public Health, Livestock Products Technology, Wild Life Health, Animal Biotechnology.

Candidate must have acquired minimum admission requirement by the last date of submission of application (16.02.2022).

Candidates who secured less than 50% marks in 12th class Board examination are not eligible for admission to post graduate course.

The admissions will be done through **Common Entrance Test (CET)**. The minimum eligibility of marks in CET for admission in M.V.Sc. is 50% (Faculty. Veterinary Science). The merit list shall be prepared and admission shall be given on the basis of CET merit of qualified candidates.

The prescribed application forms can be filled online from website/link of the Vishwavidyalaya www.cgkv.ac.in/ <https://cgkvms.cg.nic.in> on or before 16.02.2022 up to 11.59 PM.

Candidates who are in employment in state Govt./Central Govt./Private service must submit their online application and also hard copy through proper channel. NOC should be produced at the time of counseling.

University reserves the rights to increase or decrease the seats for PG and Ph D in any of the subjects of veterinary faculty.

Application for admission to M.V.Sc. Veterinary must be accompanied by application fee of Rs. 150/- (Rs. 40/- in case of SC and ST candidates of C.G. State) for M.V.Sc.. The SC/ST candidates of CG state should upload jpeg file of the caste certificate issued by the competent Authority. The application fee is to be paid through NEFT only in a/c of- A/c Name: Director of Instructions, DSVCKV, Durg, A/C No.: 1368104000021234, Branch: IDBI Bank Ltd. Chhattisgarh Kamdhenu University, Anjora, Durg, Chhattisgarh; IFSC: IBKL0001368



DETAILED SCHEDULE OF ADMISSION PROCESS M.V.Sc.

S.No.	Events	Date/Place								
1.	Online Registration Starts	25.01.2022 (https://cgkvmis.cg.nic.in)								
2	Last Date for Online Registration	16.02.2022								
3	Application Fees (to be paid by NEFT only)	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Programme</th><th colspan="2">Fees (in Rs.)</th></tr><tr><th>General/ OBC</th><th>ST/SC</th></tr></thead><tbody><tr><td>Master's Degree (M.V.Sc.)</td><td>150/-</td><td>40/-</td></tr></tbody></table>	Programme	Fees (in Rs.)		General/ OBC	ST/SC	Master's Degree (M.V.Sc.)	150/-	40/-
Programme	Fees (in Rs.)									
	General/ OBC	ST/SC								
Master's Degree (M.V.Sc.)	150/-	40/-								
4.	Details for NEFT	A/c Name: Director of Instructions, CGKV, Durg A/C No.: 1368104000021234, Branch: IDBI Bank Ltd. Chhattisgarh Kamdhenu University, Anjora, Durg, Chhattisgarh IFSC: IBKL0001368								
5	Online Display of Tentative list of Eligible Candidates through V.V. website (www.cgkv.ac.in)	22.02.2022.								
6.	Link Available for Corrections if any	23.02.2022 to 24.02.2022 (Till Midnight)								
7.	Final List of Eligible Candidates	25.02.2022								
8.	Date & Time of CET	01.03.2022 at 11.00 A.M. Venue:- College of Vety. Science & A.H., Anjora, Durg(C.G.)								
9.	Declaration of CET Results	02.03.2022								
10.	Date & Time of Counseling	04.03.2022 at 11.00 A.M. at Venue:- College of Vety. Science & A.H., Anjora, Durg(C.G.)								
11.	Date of Registration and deposition of fees	07.03.2022 (10.00 am to 5.00 pm in Respective College)								

Candidates must check the Vishwavidyalaya website regularly for any update/change in the admission process.


REGISTRAR



**DAU SHRI VASUDEV CHANDRAKAR KAMDHENU VISHWAVIDYALAYA
ANJORA, DURG (C.G.)**

No. DI/DSVCKV/2021-22/ 2095

Dated: 21/11/22

DETAILED ADMISSION NOTICE

Online applications on prescribed form are invited for admission in M.V.Sc. programme in 18 subjects of Faculty of VETERINARY SCIENCE for the Academic Session 2021-22 as below:-

S.No.	Subject	Seats for M.V.Sc. programme				
		Open	ST	SC	OBC	Total
1.	Veterinary Anatomy and Histology	1	-	1	-	2
2.	Veterinary Physiology	2	-	1	-	3
3.	Veterinary Biochemistry	1	1	1	-	3
4.	Veterinary Microbiology	1	1	1	-	3
5.	Veterinary Pharmacology & Toxicology	1	1	1	-	3
6.	Veterinary Parasitology	1	1	1	-	3
7.	Veterinary Pathology	1	1	-	1	3
8.	Animal Nutrition	1	1	-	1	3
9.	Animal Genetics & Breeding	1	1	-	1	3
10.	Livestock Production & Management	1	1	-	1	3
11.	Animal Reproduction, Gynecology & Obstetrics	1	1	-	1	3
12.	Veterinary Surgery & Radiology	1	1	-	1	3
13.	Veterinary Clinical Medicine, Ethics & Jurisprudence	1	1	-	1	3
14.	Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine	1	1	-	-	2
15.	Veterinary Public Health	1	1	-	-	2
16.	Livestock Products Technology	1	1	-	-	2
17.	Wildlife Health	1	1	-	-	2
18.	Animal Biotechnology	1	-	-	-	1
TOTAL		19	15	06	07	47

Minimum Admission Requirement for admission in M.V.Sc. programme

B.V.Sc. & A.H. degree under 10+2+5 system from a recognized University & good academic record with 6.00 OGPA in 10 point scale or 60% in marks system of examination or equivalent grade.

* The seats can be increased or decreased as per the availability of the Major Advisor (Guide)

** The category wise distribution of seats in each department of each faculty has been done as per the C.G. Government reservation policy i.e. ST-32%, SC-12% & OBC -14%.

* The seats can be increased or decreased as per the availability of the Major Advisor (Guide)

Candidate must have acquired minimum admission requirement by the last date of submission of application i.e. (16.02.2022)

The admissions will be done through **Common Entrance Test (CET)**. The minimum eligibility of marks in CET for admission in M.V.Sc. is 50% Veterinary faculty. The CET



merit shall be prepared by adding the marks obtained in CET (out of 70) and 30 marks obtained in academic record (12th and U.G.).

Candidates who are in employment in state Govt./Central Govt./Private service must fill their application online and also through proper channel in hard copy. NOC should be produced at the time of counseling.

University reserves the right to increase or decrease the seats for PG in any of the subjects.

The admission will be done through **Common Entrance Test (CET)**. The merit list shall be prepared and admission shall be given on the basis of CET merit list.

The CET will be held on **01.03.2022** at **11.00 am** at College of Vety. Sci. & A.H., Anjora, Durg (C.G.). The counseling will be held on **04.03.2022** at **11:00 am** at College of Vety. Sci. & A.H., Anjora, Durg (C.G.). **The counseling fee shall be charged in Cash at the following rates at the time of counseling.**

Programme	Fees (in Rs.)	
	General/OBC	ST/SC
Master's Degree M.V.Sc.	500/-	300/-

The Prescribed application forms can be filled online through website/link of the Vishwavidyalaya www.cgkv.ac.in/ <https://cgkvamis.cg.nic.in> on or before **16.02.2022** up to 11:59 pm. **Application for admission must be accompanied by** application fee of **Rs. 150/-** (Rs. 40/- in case of SC and ST candidates of C.G. State) to be paid through NEFT for M.V.Sc.. The SC/ST candidates of CG state should upload jpeg file of the caste certificate issued by the competent Authority. The application fee is to be paid through NEFT only in a/c of - A/c Name: Director of Instructions, CGKV, Durg A/C No.: 1368104000021234, Branch: IDBI Bank Ltd. Chhattisgarh Kamdhenu University, Anjora, Durg, Chhattisgarh, IFSC: IBKL0001368.

DETAILS OF ADMISSION PROCESS

S.No.	Events	Date and Place								
1.	Online Registration Starts	25.01.2022								
2	Last Date for Online Registration	16.02.2022								
3	Application Fees (to be paid through NEFT only)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Programme</th> <th colspan="2">Fees (in Rs.)</th> </tr> <tr> <th>General/OBC</th> <th>ST/SC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Master's Degree (M.V.Sc.)</td> <td>150/-</td> <td>40/-</td> </tr> </tbody> </table>	Programme	Fees (in Rs.)		General/OBC	ST/SC	Master's Degree (M.V.Sc.)	150/-	40/-
Programme	Fees (in Rs.)									
	General/OBC	ST/SC								
Master's Degree (M.V.Sc.)	150/-	40/-								
4.	Details for NEFT	A/c Name: Director of Instructions, CGKV, Durg A/C No.: 1368104000021234, Branch: IDBI Bank Ltd. Chhattisgarh Kamdhenu University, Anjora, Durg, Chhattisgarh IFSC: IBKL0001368								
5	Online Display of Tentative list of Eligible Candidates through v.v. website (www.cgkv.ac.in)	22.02.2022								
6.	Link Available for Corrections	23.02.2022 to 24.02.2022(Till Midnight)								

S. [Signature]

	if any	
7.	Final List of Eligible Candidates	25.02.2022
8.	Date & Time of CET	01.03.2022 at 11.00 A.M. Venue:- College of Vety. Science & A.H., Anjora, Durg(C.G.)
9.	Declaration of CET Results	02.03.2022
10.	Date & Time of Counseling	04.03.2022 at 11.00 A.M. at Venue:- College of Vety. Science & A.H., Anjora, Durg(C.G.)
11.	Date of Registration and deposition of fees	07.03.2022 (10.00 am to 5.00 pm in Respective College)

The list of eligible candidates for appearing in CET will be available in website of the Vishwavidyalaya www.cgkv.ac.in and candidates must check the Vishwavidyalaya website regularly for any updates/changes in the Admission process.

All eligible candidates will collect the admit card two hours before the CET from Directorate of Instructions office located at DSVCKV, Anjora , Durg(C.G.) No separate intimation will be given. The question papers for M.V.Sc. will be of UG standard. The questions will be multiple choice objective type.

The list of eligible candidates for appearing in the counseling will be available in website of the Vishwavidyalaya www.cgkv.ac.in on **02.03.2022**.

The admission of students for M.V.Sc. programme shall be decided on the basis of an index merit list to be prepared by giving 70% weightage to the marks obtained by students in CET, 20% weightage to 1st class and 10% to 2nd class obtained at undergraduate level, 10% weightage to 1st class and 5% to 2nd class obtained at HSSC (10+2) level. This list will be finally arranged in decreasing order of merit category wise.

Incomplete applications will not be considered.

- **No. separate call letter for CET and counseling will be issued.**
- **No TA/DA or remuneration of any kind will be paid to the candidates for appearing in CET and attending the counseling.**

Relaxation in qualifying marks

For the reservation category (SC/ST), 5% relaxation will be given in qualifying marks of CET.

M.V.Sc.

Selected students must report in person to the Dean of the College on the date of admission prescribed by the Vishwavidyalaya/Dean of the College for payment of fee and for the purpose of registration of courses. The new entrants selected for admission to Master degree courses of the Vishwavidyalaya shall become enrolled students only on completion of all the formalities prescribed by the Vishwavidyalaya from time to time.

Late payment of fee and registration shall be permitted by the Dean of the College up to 03 working days only following the date of registration beyond which there shall be no registration and his/her admission shall automatically stand cancelled.

At the end of admission process of Post Graduate programme, if some seats are still left vacant, change of subjects can be permitted through counseling of desirous students immediately after the last date of registration (within 02 working days).

After the change of subjects, vacant seat(s), if any, will be filled up from the merit list on third working day of completion of registration including late payment fees (06 working days) (i.e. on 6th working of the scheduled day of registration).

इन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं, किन्तु इन छात्रों को मूल अंकसूची आवेदन जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा ।

1. विद्यार्थियों का प्रवेश प्रावीण्य सूची के आधार पर होगा । प्रावीण्य सूची के कुल अंक (100%) का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

(A) एम.व्ही.एस.सी

(अ) सी.ई.टी. परीक्षा — 70 प्रतिशत

(ब) स्नातक स्तर

प्रथम श्रेणी — 20 प्रतिशत

द्वितीय श्रेणी — 10 प्रतिशत

(स) 10+2 स्तर

प्रथम श्रेणी — 10 प्रतिशत

द्वितीय श्रेणी — 5 प्रतिशत

प्रावीण्य सूची को कुल प्राप्तांक के घटते क्रम में श्रेणीवार तैयार किया जावेगा ।

2. न्यूनतम अंक सीमा : प्रवेश हेतु सी.ई.टी. में **न्यूनतम अंक सीमा 50 प्रतिशत है ।**

3. सी.ई.टी. द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची समाप्त हो जानें के पश्चात् यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो उस पर प्रवेश का अधिकार विश्वविद्यालय सुरक्षित रखेगी ।

4. सीटों का आरक्षण :-

दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में निम्नानुसार पर आरक्षण उपलब्ध होगा :-

(अ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) छत्तीसगढ़ राज्य के (मूल निवास) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) के पुत्र/पुत्रियों के लिये क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत आरक्षण होगा ।

- (ब) ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमिलियर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं / अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थाई जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर अथवा उसके शाखा अंबिकापुर/जगदलपुर से कराया जाना अनिवार्य है।

यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश अधिसूचना जारी होने के उपरांत 06 माह का समय दिया जावेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा उक्त समयावधि के अंदर सत्यापित जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करने असफल होने की स्थिति में अभ्यर्थियों का वर्ष 2021-22 का पंजीकरण नियमानुसार निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

- (स) आवेदक को केवल एक श्रेणी में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

- (द) विकलांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

ऐसे उम्मीदवार जो विकलांग हो उनके लिये संस्थाओं की प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त सीटों का आरक्षण शासन के नियमानुसार होगा।

इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश के दावा करने वाले उम्मीदवार को जिला चिकित्सा मंडल तथा अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगे।

5. छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय उम्मीदवारों को प्रवेश :

छत्तीसगढ़ शासन के विभागीय कर्मचारियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा, यदि वे प्रवेश के लिये निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं और शासन उनके प्रवेश हेतु विभागीय उम्मीदवार के रूप में अनुशंसा करती है।

6. रिक्त सीटों पर प्रवेश :

आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा :-

“अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेगें। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमिलियर को छोड़कर) के उम्मीदवारों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जावेगें।”

6
01

7. जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप अथवा छत्तीगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उम्मीदवार द्वार प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित श्रेणी, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
9. शरीरिक योग्यता :
- (अ) आयु सीमा: प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशियों की न्यूनतम आयु दिनांक 31.12.2021 को 21 वर्ष से कम न हो।
- (ब) स्वास्थ्य अर्हता: चयनित परीक्षार्थियों को प्रवेश के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र न्यूनतम सहायक शल्य चिकित्सक/सहायक भेषज स्तर के चिकित्सा अधिकारी का मान्य होगा।
10. प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि :
- प्रवेश के लिये प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय द्वारा विन्दु क्रमांक 1 के आधार पर श्रेणीवार प्रावीण्य सूचियाँ इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पृथक से बनाई जावेगी तथा इन प्रावीण्य सूचियों की प्रति विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध होगी।
- आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हें सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जावेगा व उतनी संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जावेगा।
 - आरक्षित श्रेणी के जिन प्रत्याशियों को सामान्य श्रेणी में प्रवेश प्राप्त हो रहा है, उन्हें भी निर्धारित प्रपत्र में सत्यापित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. सी.ई.टी. में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :
- समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। इस हेतु सी.ई.टी. में पाठ्यक्रमों के लिये निम्नलिखित क्रम से उनके प्राप्तांकों को आधार मानकर निश्चित की जायेगी।
- (अ) सी.ई.टी. में प्राप्तांक।
- (ब) स्नातक डिग्री में अधिक प्राप्तांक वाले प्रत्याशी को वरीयता दी जावेगी।
- (स) उक्त में भी समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों में प्राथमिकता अधिक उम्र वाले विद्यार्थी को दी जावेगी।
- (द) यदि उपरोक्त के अनुसार उम्र में भी समान होगी तब 12वीं के कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।
12. प्रवेश हेतु अंतिम तिथी का निर्धारण :
- महाविद्यालय में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथी तक ही किये जावेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत स्थान रिक्त रहने पर उन्हें नियमानुसार भरने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

13. प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण :

विश्वविद्यालय द्वारा जारी सी.ई.टी.मेरिट सूचियों के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर काउंसिलिंग के माध्यम से आवेदकों को अस्थाई प्रवेश प्रदान किया जावेगा । प्रवेश के लिये आवेदक को पाठ्यक्रम में संबंधित प्रवेश नियमों में उल्लेखित योग्यता / अर्हता शर्तों को पूरा करना होगा । आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्रों में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्र , काउंसिलिंग के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे । (आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति -10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, स्नातक/स्नात्कोत्तर स्तर की अंकसूची, डिग्री सर्टिफिकेट, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं सत्यापित जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा) ।

छत्तीसगढ़ मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिये ।

अभिभावक

किसी भी उम्मीदवार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथी तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो । अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी ।


दत्तक पुत्र / पुत्री

यदि कोई आवेदक सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारण प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथी के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक / बी.एस.सी.भाग -1 अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है । इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम भी केवल मान्य होगा । इसके अतिरिक्त अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा की ऐसे आवेदक गोद लिये जानें के पूर्व भी कमशः अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति के ही रहे हो । ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा किन्ही अनुसूचितजाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

14. प्रवेश निरस्तीकरण :

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी / गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था, तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा ।

प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटाने हेतु दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय सर्वोच्च निर्णायक होगा । यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण / व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निर्णय हेतु दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय को भेजा जाना चाहिये। प्रवेश नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय को होगा ।


कुलसचिव

दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु
विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

